आगामी पंचवर्षीय योजना को वाटर प्लान ऑफ इण्डिया घोषित किया जाये

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान

❒ सुरेन्द्र द्विवेदी

छाया : राकेश सैनी, दिल्ली

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान, वित्त मंत्री श्री राघव जी और मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक में मांग की कि आगामी पंचवर्षीय योजना को वॉटर प्लान ऑफ इण्डिया घोषित किया जाये। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाये जाने का आग्रह किया। श्री चौहान ने नक्सलवाद से निपटने में मदद के लिये मण्डला और डिण्डौरी जिलों को गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी खर्च योजना (एसआरई) में पुनः शामिल किये जाने तथा सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल एवं उमरिया जिलों को तत्काल इसके अंतर्गत लाये जाने की मांग की।

बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया, केन्द्रीय मंत्रीगण, राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करने, नक्सलवाद की समस्या, विकास की रणनीति, जनजातीय मामलों से संबंधित बिन्दुओं तथा शहरीकरण और विद्युत सेवा से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिये बुलाई गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विकास में कमी का मुख्य कारण वर्षा आधारित कृषि, उच्च मृदा क्षरण, कम मूल्य की फसलों का अधिक अनुपात और निम्न उत्पादकता है। इन सभी को देखते हुए आगामी पंचवर्षीय योजना को वॉटर प्लान ऑफ इण्डिया घोषित किया जाये। श्री चौहान ने प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपये वन टाइम ग्रांट देने की मांग की जिससे कृषि अनुसंधान गतिविधियों को सुदृढ़ किया जा सके।

नक्सल समस्या की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा इस समस्या से जुड़े मुद्दों पर आयोजित बैठक में मध्यप्रदेश को शामिल न किये जाने पर आश्चर्य और खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों की बढ़ती हिंसा सभी के लिये गंभीर चिंता का विषय है। ये उग्रवादी झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेड कॉरीडोर बना रहे हैं। यह न केवल हमारी आंतरिक सुरक्षा, बल्कि पूरे देश की विकास प्रक्रिया के लिये एक बड़ी चुनौती बन गया

है। मध्यप्रदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माओवादियों को अपने प्रभाव का विस्तार करने से रोकने में मध्यप्रदेश सरकार अभी तक सफल रही है। यह हमारे सुशासन, विकास गतिविधियों, भागीदार सुशासन और प्रभावी पुलिस व्यवस्था के कारण संभव हो सका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मध्यप्रदेश में नक्सलवादी गतिविधियां नहीं हैं।

केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिये। उन्होंने इस संबंध में हाल ही में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के प्रावधान में केन्द्र सरकार द्वारा परामर्श नहीं किये जाने, बुंदेलखण्ड पैकेज के क्रियान्वयन के लिये सभी प्रस्तावों को एनआरएए के माध्यम से केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने, केम्पा की राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया आदि के उदाहरण दिये। उन्होंने आग्रह किया कि केम्पा की राशि राज्य शासन के पास ही जमा होनी चाहिये ताकि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हो सके।

भोपाल गैस त्रासदी की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि मंत्रियों के समूह ने सिर्फ 42 हजार 166 गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा दिये जाने की अनुशंसा की है, लेकिन कल्याण आयुक्त द्वारा पीड़ित घोषित किये गये पांच लाख 21 हजार 332 लोगों के लिये कोई अतिरिक्त मुआवजा अनुशंसित नहीं किया गया है। इस तरह 90 प्रतिशत से अधिक गैस पीड़ितों को कोई अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि 10 हजार 47 ऐसे गैस पीड़ितों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है जिनकी मृत्यु गैस त्रासदी के परिणामस्वरूप हुई। उन्होंने आग्रह किया कि अतिरिक्त मुआवजे के पूरे मुद्दे पर फिर से विचार किया जाये। उन्होंने पीथमपुर में रासायनिक अवशिष्ट जलाये जाने के मुद्दे पर पुनः विचार कर जलाने के साथ-साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की जरूरत को दोहराया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिये विशेष पैकेज की स्वीकृति पर केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते हुए विंध्य और महाकौशल के लिये भी विशेष पैकेज की मांग की। विंध्य के लिये 17 हजार 295 करोड़ रुपये तथा महाकौशल के लिये 19 हजार 303 करोड़ रुपये की प्रारंभिक योजना तैयार की गई है। इस योजना का बड़ा हिस्सा सिंचाई एवं खाद्यान्न संग्रह की सुविधाओं पर खर्च किया जायेगा।

श्री चौहान ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिये वर्तमान पंचवर्षीय योजना के लिये नगरीय क्षेत्रों के लिये वित्तीय संसाधनों को बढ़ाकर तीन गुना करने का आग्रह किया। शहरी गरीबों के आवास निर्माण के लिये आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत इकाई लागत को बढ़ाकर ढाई लाख किये जाने और बी.एस.यू.पी. की तर्ज पर इकाई लागत की सीलिंग को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहरी विकास योजना की लागत में वृद्धि के कारण राज्य पर 40 प्रतिशत अतिरिक्त भार पड़ रहा है। उन्होंने आग्रह किया कि परियोजना लागत में वृद्धि को राज्य एवं केन्द्र सरकार उसी अनुपात में वहन करे जिस अनुपात में राशि की व्यवस्था मूल योजना में की गई है। श्री चौहान ने अपील की कि मनरेगा, एनआरएचएम और टीएससी जैसे फ्लेगशिप कार्यक्रमों का विस्तार शहरी क्षेत्रों में किया जाये। इससे शहरों एवं कस्बों की अधोसंरचना का विकास होगा और शहरी गरीबों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

श्री चौहान ने कहा कि विद्युत की उपलब्धता प्रदेश के समग्र विकास के लिये महत्वपूर्ण है। हमारा ध्यान ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने और ट्रांसमिशन हानियों को कम करने की ओर केन्द्रित है। वर्ष 2002-03 में स्थापित 3890 मेगावॉट की तुलना में ट्रांसमिशन क्षमता बढ़कर 8091 मेगावॉट हो गई है। यह वृद्धि 108 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिये फीडर सेपरेशन योजना क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा इसके खर्च में भागीदारी की जानी चाहिये। इस योजना पर लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। श्री चौहान ने अनुरोध किया कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के 16 जिलों की लंबित योजनाओं को स्वीकृति शीघ्र दी जाये।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इसके तहत संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिये कृतसंकल्प है और इसके लिये सभी आवश्यक कदम उठा लिये गये हैं। आगामी तीन वर्षों में इस पर पाँच हजार 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा जो राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों से नहीं जुटा सकती। इसलिये उन्होंने केन्द्र सरकार से इस व्यय का 90 प्रतिशत भार वहन करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र करते हुए श्री चौहान ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि गत वर्ष भारत सरकार ने राज्य को पर्याप्त संख्या में स्वीकृतियां प्रदान नहीं की हैं। उन्होंने लंबित स्वीकृतियां तत्काल जारी किये जाने का आग्रह किया।